



20	नेफोलाजी, (मैडिसिन) नेफोलाजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसी (27)	0	0	0	0	0	0
21	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एससीओ अनारक्षित ओपीसी	(93) (94) (96)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
22	पेन मैडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एससीओ (45)	1	एससीओ	(47)	1	1	1
23	पैथालाजी	0	0	0	0	0	0	1	1
24	फार्माकालाजी	1	एससीओ (49)	1	एससीओ अनारक्षित	(25) (34)	1	1	1
25	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)	0	0
26	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1
27	फोरेंसिक मैडिसिन	1	अनारक्षित (52)	0	0	0	0	1	1
28	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीसी (51)	1	अनारक्षित	(96)	1	1	1
29	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1
30	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	1
31	रेडियोलॉजी	1	ओपीसी (37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एससीओ ईओडब्ल्यूएसओ एससीओ अनारक्षित	(30) (96) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
32	साइकियेट्री	1	अनारक्षित (68)	1	ओपीसी	(103)	0	0	0
		17			56			92	

उक्त पदों पर नियमानुसार आक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-682/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थव्यय तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थव्यय को पूर्ववर्ती अर्थव्यय पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमत्त नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न माने जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थव्यय/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आभार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमनोपकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारीत नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह कर्मचारी से अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आभार पर अपने विनियमनोपकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्त होगी।
- अर्थव्ययों से सम्बन्धित रूप से समय इस आदेश का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त, कर्मिक अनुमान-2, 2000 लखनऊ के कार्यलय ज्ञाप सं-1/2010/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2010 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आक्षण का लाभ प्राप्त हेतु कुल कर्मिक आय ₹ 6.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एनओएसओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमत्त होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का सम्बन्धित होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अर्थव्यय एनओएसओ/एनएएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं- 343 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर